

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....6...../2026

सं०सं०-अ०नि०(02) 57 / 2025 / नि०सं०

श्रीमती शिखा राज, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय को वित्त विभागीय अधिसूचना सं० 5059 दिनांक 16.06.2014 एवं अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 21.11.2025 से 19.05.2026 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजीत कुमार)

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि०(02) 57 / 2025 / नि०सं०.....

दिनांक .....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय / मुख्य अभियोजक, बेगूसराय / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती शिखा राज, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 57 / 2025 / नि०सं०..... 114

दिनांक..... 9 / 11 / 26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव।